

प्रेषक,

ओम प्रकाश
अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक 28 नवम्बर, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1259/19 बजट (नाबार्ड वित्त पोषित)/2017-18, दिनांक 16.11.2017 तथा पत्र के साथ संलग्न 93 कार्यों की सूची में क्रमांक -05 पर अंकित व विगत वित्तीय वर्षों में राज्य योजनान्तर्गत स्वीकृत एवं वर्तमान में नाबार्ड पोषित आर0आई0डी0एफ0 फेज XXIII के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य " Construction of Remaining work 440 Mt. Span Dobra -Chanthi Heavy motor Vehicle suspension bridge over Tehri + 25 m approach bridge on chanthi side in Tehri Garhwal " जिसकी मूल लागत रु0 14994.55 लाख, योजना पर दिनांक 31.3.2017 तक कुल व्यय रु0 7497.27 तथा दिनांक 01.4.2017 को अवशेष (Spill Over) रु0 7497.28 लाख, तथा योजना की अवशेष लागत हेतु नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण रु0 7497.28 लाख के सापेक्ष राज्य स्तर पर वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु कुल प्राविधानित धनराशि रु0 35800.00 लाख में से शासन स्तर से समय-समय पर समेकित रूप में निर्गत धनराशि रु0 23770.668 लाख के उपरान्त अवशेष धनराशि रु0 12029.332 लाख में से उक्त योजना हेतु रु0 7497.28 लाख (रुपये चवहत्तर करोड़ सतानवे लाख अट्ठाईस हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 1- उपरोक्तानुसार उल्लिखित कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुये संबंधित खण्ड को सी0सी0एल0 आवंटित किये जाने की कार्यवाही की जाय, जिसकी सूचना शासन को भी उपलब्ध करायी जायेगी तथा खण्ड स्तर से सम्बन्धित कार्य हेतु अनुबंधित संस्थाओं को उनके साथ हुए अनुबंध/एम0ओ0यू0 में भुगतान की निहित शर्तों के अनुसार आवश्यकतानुसार ही कार्य की भौतिक प्रगति के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
- 2- उल्लिखित कार्य हेतु उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय करते समय कार्य की स्वीकृति के संबंध में राज्य योजनान्तर्गत निर्गत शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3- उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय सचिव, वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 312/3(150)XXVII(1)/2017, दिनांक 31 मार्च, 2017 तथा शासनादेश सं0 610/3(150)XXVII(1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा तथा कार्य कराते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 4- ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitible आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण व्यवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

- 5- कार्य हेतु अनुमोदित आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- 6- धनराशि का आहरण व व्यय तभी किया जायेगा, जब विभाग द्वारा नाबार्ड से कार्य को पूर्ण किये जाने की अवधि का विस्तार संबंधी स्वीकृति तथा प्रतिपूर्ति दावों को प्रस्तुत करने के साथ नाबार्ड की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जायेगी।
- 7- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत मदवार धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- 8- उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्य, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।
- 9- निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय तथा आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 10- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2018 तक कर लिया जाय।
- 11- उक्त स्वीकृत रु० 7497.28 लाख (रुपये चवहत्तर करोड़ सतानवे लाख अट्ठाईस हजार मात्र) की धनराशि का आवंटन इन्टरनेट के माध्यम से संलग्न विवरणानुसार अलोटमेन्ट आई०डी० सं० S 1711220214 दिनांक 28 नवम्बर, 2017 द्वारा आपको आवंटित कोड सं०-4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक -5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04- जिला तथा अन्य सड़कें - 337-सड़क निर्माण कार्य -9801-आर०आई०डी०एफ० योजना के कार्य-24- वृहत निर्माण कार्य में प्राविधानित बजट के नामें डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या 547/XXVII(2)/2017 दिनांक 27.11.2017 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या:- 93) (1)/III(3)/2017, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबर्गॉय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5. जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी।
6. मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, राजपुर रोड, देहरादून।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/2, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
8. अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सम्बन्धित परियोजना, डोबरा चांटी, टिहरी, उत्तराखण्ड।
9. लोक निर्माण अनुभाग-1/2, वित्त अनुभाग-1/2, उत्तराखण्ड शासन।
10. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(दिनेश कुमार पुनेठा)
अन सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, PWD (S038)

आवंटन पत्र संख्या - /III(3)/2017-01(nabard)2014 dated

अनुदान संख्या - 022

अलोटमेंट आई डी - S1711220214

आवंटन पत्र दिनांक - 28-Nov-2017

HOD Name - Chief Engineer PWD (4227)

- 1: लेखा शीर्षक 5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04 - जिला तथा अन्य सड़के
337 - सड़क निर्माण कार्य
98 - नाबार्ड पोषित
01 - आर0आई0डी0एफ0 योजना के कार्य (5054-04-800-03-06 से स्थानान्तरित)

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - बृहत निर्माण कार्य	2377066800	749728000	3126794800
	2377066800	749728000	3126794800

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 749728000



